

पेंशन अदालत हेतु वाद-पत्र

1. पेंशनर का नाम -----
2. पदनाम -----
3. पिता/पति का नाम -----
4. कार्यालय का नाम जहां से सेवानिवृत्त/मृत हुआ-----
5. विभागाध्यक्ष का पदनाम-----
6. जन्मतिथि -----
7. सेवा में आने की तिथि -----
8. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि-----
9. कार्यालयाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि-----
10. पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को पेंशन प्रपत्र भेजे जाने की तिथि-----
11. पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा आपत्ति का विवरण यदि कोई उठाया गया हो-----
12. यदि आपत्ति का उत्तर भेजा गया हो उसका विवरण-----
13. अन्य विवरण -----
14. पेंशन अदालत में प्रार्थना का विवरण तथा राहत जो वह चाहता हो, का विवरण औचित्य सहित-----
15. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता -----
16. मैं भलीभांति समझता हूँ कि नीतिगत मामले पेंशन अदालत में नहीं सुने जायेंगे। कानूनी मामले जैसे उत्तराधिकार/संरक्षक प्रमाण पत्र के विवाद एवं कोर्ट केस से सम्बन्धित मामले में पेंशन अदालत में नहीं उठाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी मामले में शासन स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से निर्णय हो चुका है एवं संविदा सम्बन्धी मामले भी नहीं सुने जायेंगे। न्यायालय में विचाराधीन मामले भी नहीं सुने जायेंगे।

हस्ताक्षर : पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर
तिथि -----